न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/68/2021

साकिर पुत्र मंगल जाति फकीर निवासी पिनगवां थाना पिनगवां जिला नूंह प्रान्त हरियाणा।

.....प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 549/2020 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) पुलिस थाना डीगं, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री रमनलाल मित्तल, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 15.02.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 का प्रार्थी मालिक है व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त वाहन से कोई सबंध व सरोकार नही है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त जब्तशुदा वाहन को पुलिस थाना डीग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 549/2020 अन्तर्गत धारा गोवंश अधिनियम में जब्त कर खडा किया हुआ है। जिसके धूप व पानी से वाहन डैमेज हो रहा है व टायर व इंजन बैटरी खत्म हो रही है। पुलिस थाना डीग को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है जबकि प्रार्थी बेरोजगार है व फाइनेन्स से वाहन को हायर परचेज पर खरीद है व वाहन के खुले में खडा होने से बर्बाद होने से ऋण की किश्त जमा नही होगी। इसलिए प्रार्थी वाहन को सुपुर्दगी में

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0.

दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। थाना डीग में उक्त वाहन को गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। प्रकरण में भी पुलिस थाना डीग को कोई आवश्यकता नही है। राजस्थान गोवंश अधिनियम 6ए (3) के अनुसार रजिस्टर्ड वाहन स्वामी को अन्तरिम कस्टडी से मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है साथ ही वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग अनैतिक रूप से गोवंश की तस्करी एवं अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन में 16 गोवंश को निर्दयता पूर्ण तरीके से भरा होना गोवशं के प्रति क्रूरता पूर्ण रवैया अपनाया गया है जो कि माफी योग्य नही है। यदि ऐसे प्रकरणों में माफी की कार्यवाही की जाती है तो समाज में इस प्रथा से गलत संदेश जावेगा। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। गोवंश मे लिप्त वाहन के छोडने के बाबत कोई प्रावधान नही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना डीग की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना डीग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 में 16 गोवंश जिनमें 11 गाय, 01 बछडा, 02 बछडी, 01 सांड जीवित व 01 सांड मृत को बुरी तरह से रस्सों से बांध कर एक दूसरे के उपर पटक कर परिवहन किया

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

जा रहा था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है जो कि गोवंश के प्रति अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन आयशर क्लोज बौडी 1075 पंजीयन संख्या एच.आर–55–यू–2226 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी डीग (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर